

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17/विविध-01-32/2025

पटना, दिनांक:- / / 2026

राज्य के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत निम्नांकित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सकों को कॉलम-06 में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

Sl. No	NAME	D.O.B.	APPOINTMENT ORDER	PERSENT NAME OF MCH	अनापत्ति का प्रायोजन
01	02	03	04	05	06
01	SWATI KUMARI	Apr10 1992	595(17) 05.06.2025	RH, PIRPAINTE, BHAGALPUR	BCECEB, Patna द्वारा प्रकाशित सीनियर रेजिडेंट के पदपर नियुक्ति/साक्षात्कार मे भाग लेने हेतु।

- बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सकों को यह अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बिहार राज्य में अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूरी करेंगे।
- उक्त आदेश में यदि भविष्य में नियम के आलोक में कोई असंगति का मामला संज्ञान में आता है, तो तदानुसार निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


ज्ञापांक-17/विविध-01-32/2025 - 412(17) पटना, दिनांक:- 09/04/2026

प्रतिलिपि :- संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक /उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
JK